निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1937 (श0)

संख्या 9 पटना, बुधवार, ——————

2 मार्च 2016 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	3-3
पूरक	---
पूरक-क	4-7

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

16 फरवरी 2016

सं० भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)–542/प0व0—श्री ए0 के0 पाण्डेय, भा0व0से0 (86) मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), बिहार अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार वानिकी विकास निगम लि0, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)–543/प0व0—श्री सुरेन्द्र सिंह, भा0व0से0 (2001) वन संरक्षक (मुख्यालय) प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिहार अगले आदेश तक वन संरक्षक–सह–अपर निदेशक हरियाली मिशन दक्षिण, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)–544/प0व0—श्री राम कुमार झा, बि0व0से0, परामर्शी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल दरभंगा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

सं० भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)–545 /प0व0—श्री मुख्तारूल हक, बि0व0से0, उप वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय बिहार को स्थानांतरित करते हुए परामर्शी, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, उप–सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी 2016

सं० ई2–02–54/2010–1122—श्रीमती परवीन जहाँ, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर को बिहार सेवा सहिता के नियम– 220A के तहत् शिशु देख–भाल हेतु दिनांक 15.02.2016 से 12.03.2016 तक कुल 27 दिनों का शिशु देख–भाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस अवकाश के दौरान श्रीमती परवीन जहाँ को वही छुट्टी वेतन प्राप्त होगा जो छुट्टी पर प्रस्थान करने के पहले प्राप्त कर रही थी।

आदेश से,
सोहन कुमार ठाकुर,संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 255—मैं, विनायक मिश्र, पिता–मटुक नारायण मिश्र फ्लैट नं 303, गौरी अपार्टमेंट, अम्बेडकर पथ, बेली रोड रूकनपुरा, पो०–वी०भी०कॉलेज थाना–रूपसपुर पटना शपथ पत्र सं० 8802 दिनांक 12.10.2015 से घोषण करता हूँ कि मेरा पुत्र आयुष अब 'आयुष वत्स' के नाम से जाना जायेगा।

विनायक मिश्र ।

No. 255—I, Vinayak Mishra S/o Matuk Narain Mishar R/o Flat No. 303, Gauri Apartment, Ambedkar path Rukunpura patna declare vide Affidavit no. 8802 Dated 12.10.2015 that now onwards my Son Ayush will be known as Ayush Vatsa.

VINAYAK MISHRA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
24 फरवरी 2016

सं० कौन/भी–116/2002–52/सी—चौक थाना कांड संख्या–69/02, दिनांक 17.04.2002 के अभियुक्त सुश्री अफशॉ अज़ीम, वाणिज्य–कर पदाधिकारी, मुख्यालय, बिहार, पटना को उक्त कांड में सिविल कोर्ट के माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दोष सिद्ध प्रमाणित पाये जाने के उपरांत तत्काल प्रभाव से न्यायिक हिरासत में लिए जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(2)(ख) के तहत् हिरासत में लिए जाने की तिथि 14.09.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. Criminal Appeal (DB) No. 806/2015 अफशॉ अज़ीम बनाम बिहार राज्य में दिनांक 10.11.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्रीमती अज़ीम दिनांक 11.11.2015 के अपराह्न में जमानत पर कारावास से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 12.11.2015 के पूर्वाह्न में योगदान किया है। उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत् योगदान स्वीकार करते हुये दिनांक 12.11.2015 के पूर्वाह्न से निलंबन मुक्त किया जाता है एवं श्रीमती अफशॉ अज़ीम को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दोष सिद्ध प्रमाणित पाये जाने के पश्चात् उन्हें दिनांक 21.09.2015 को उम्रकैद की सजा तथा 10 (दस) हजार रुपये का जुर्माना की सजा अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(ii) के तहत् दिनांक 12.11.2015 के पूर्वाह्न से पुनः निलंबित किया जाता है।

3. इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1) के तहत् अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव।

सं० कारा/नि0को(विविध)–10–14/2015–888

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग

संकल्प

9 फरवरी 2016

चूँकि बिहार–राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रताप नारायण सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक सम्प्रति प्रभारी पदाधिकारी (अ0रा0), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के मंडल कारा, जमुई में पदस्थापन के दौरान बंदी नरेश यादव की ईलाज में लापरवाही के फलस्वरूप दिनांक 11.04.2010 को सदर अस्पताल, जमुई में ईलाज के दौरान हुई मृत्यु की घटना उनकी लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं प्रशासनिक विफलता का द्योतक है।

2. साथ ही सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13577/2010 सुनैना देवी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश है कि मृत बंदी के मौलिक अधिकार का हनन राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। बंदी नरेश यादव की घातक रूप से पिटाई की गई जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। माननीय न्यायालय ने वादी श्रीमती सुनैना देवी को, उनके पति बंदी स्व0 नरेश यादव की अभिरक्षा में मंडल कारा जमुई में हुई अप्राकृतिक मृत्यु के फलस्वरूप मो0– 20,00000/– (बीस लाख) रूपया मुआवजा का भुगतान करने का आदेश पारित किया है तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निदेश है।

3. श्री सिंह का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री प्रताप नारायण सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, जमुई सम्प्रति प्रभारी पदाधिकारी (अ0र0) कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17(2) के तहत् विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

7. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
FORM No. I

DECLARATION
The 24th Fubuary 2016
(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**09/2015**-642—WHEREAS, It is alleged that **Sri Vijay Kumar Sinha, the then Assistant Engineer, Ganga Sone Flood Protection Division, Digha, Patna, Water Resource Department, Bihar, Patna, the then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul. S/o Sri Laxmi Prasad Sinha, Present Address : House No. E-4, Savitri Sadan, Road No.-6/D, Sadhanapuri, Gardanibagh, Patna-800001,** while holding the post of **Sri Vijay Kumar Sinha, the then Assistant Engineer, Ganga Sone Flood Protection Division, Digha, Patna, Water Resource Department, Bihar, Patna, the then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul** and serving in different capacities

under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. **15/2009** dated 20.02.2009**.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Vijay Kumar Sinha, the then Assistant Engineer, Ganga Sone Flood Protection Division, Digha, Patna, Water Resource Department, Bihar, Patna, the then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.
sd/- Illegible, Principal Secretary.

The 24th Fubuary 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**08/2015**-643—WHEREAS, It is alleged that **Sri Kameshwar Nath Singh, the then Executive Engineer, West Koshi Canal Division, Khutauna, Madhubani. The then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul, S/o Sri Ramashis Singh, Vill. - Mahdah, P.S. - Mufashil, Distt. - Buxar at Present Address : Ashiyana Nagar, Phase-I, Near SBI, P.S. - Rajiv Nagar, Patna,** while holding the post of **the then Executive Engineer, West Koshi Canal Division, Khutauna, Madhubani. The then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul,** and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. **14/2009** dated 20.02.2009**.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **the then Executive Engineer, West Koshi Canal Division, Khutauna, Madhubani. The then deputed at Kusha Barrage, Birpur, Supaul** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.
sd/- Illegible, Principal Secretary.

The 24th Fubuary 2016

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**07/2015** -644—WHEREAS, It is alleged that **Sri Ram Bilash Chaudhary, the then Chief Engineer (Retd), Water Resources Department, Govt. of Bihar, Darbhanga S/o Late Ram Bahadur Choudhary, R/o 4H/6, Bahadurpur Housing Colony, Patna-800026,** while holding the post of **the Chief Engineer (Retd.), Water Resources Department, Govt. of Bihar, Darbhanga,** and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Special Vigilance Unit Vide Vig. P.S. Case No. **01/2014/SVU/Patna** dated 23.01.2014**.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is *prima facie* case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **the Chief Engineer (Retd.), Water Resources Department, Govt. of Bihar, Darbhanga** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar.
sd/- Illegible, Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 50—571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in